

पम्पनी राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुनर्जांच के
 क्रम में पम्पनी पर होने वाले पत्रों के अभाव में
 गई। सामान्य रूप में प्रपत्रों में प्रपत्र
 सूचना दी गई। दोनों पत्रों में सहायता पर सहायता
 हो गया है। इस कारण प्रपत्र नहीं चलाना चाहते हैं।
 सामान्य पत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रपत्र स्वीकार
 करते हुए प्रार्थना पत्र अत्याई निषेधाज्ञा में कार्यवाही
 होप की जाती है। प्रपत्र T I रजिस्ट्रिज किन्हीं
 जाता है। पम्पनी के पास पुनर्जांच नभ्य
 में मदद की जाकर 915 लाखों का रिजर्व प्रपत्र की
 जावे।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौज